



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2889/वि०स०/संसदीय/76(सं)-2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित भूमि, भवन और अन्य अनुलग्न अचल संपत्तियों के वास-स्थान का अभिलेख बनाने, अभिलेखों को अद्यतन करने तथा आबादी क्षेत्रों में प्रबंध और कराधान के लिए और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न कथित हो, इस अधिनियम में,—

(क) “आबादी” का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जो,—

(एक) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 31 के अनुसार अनुरक्षित ग्राम के अधिकार अभिलेख में “आबादी” के रूप में अभिलिखित हो; या

(दो) निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि का क्षेत्र जो वास—स्थान के रूप में उपयोग किया जाता हो; या

(तीन) वास—स्थान के लिए आवंटित भूमि हो; या

(चार) भूमि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67—क के अधीन वास—स्थान हेतु अनुज्ञेय हो;

(ख) “आबादी भूखण्ड” का तात्पर्य आबादी के सर्वेक्षण के पश्चात् तैयार किए गए मानचित्र में इस प्रकार सीमांकित भूमि के टुकड़े से है;

(ग) “आबादी भूखण्ड स्वामी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के पश्चात् तैयार किए गए ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी) में विधिपूर्वक एवं निर्विवाद रूप से अभिलिखित है;

(घ) “आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र” का तात्पर्य इस अधिनियम के नियमावली तथा विनियमावली में संलग्न एक या एक से अधिक प्रपत्रों से है;

(ङ) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 से है;

(च) “सहायक अभिलेख अधिकारी” का तात्पर्य संबंधित तहसील के उप संभागीय अधिकारी से है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी को सहायक अभिलेख अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट न किया गया हो;

(छ) “परिषद” का तात्पर्य राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से है;

(ज) “केन्द्रीय सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(झ) “संहिता” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) से है;

(ञ) “लेखपाल” का तात्पर्य यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 के अनुसार नियुक्त लेखपाल से है;

(ट) “अभिलेख अधिकारी” का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

(ठ) “राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) एवं तहसीलदार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 की उपधारा (17) में निर्दिष्ट राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) एवं तहसीलदार से है;

(ड) “धारा” का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा से है;

(ढ) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ण) “सर्वेक्षण संख्या” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 30 के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों या मानचित्रों में तैयार एवं अनुरक्षित किसी भू-खण्ड की अभिलिखित सर्वेक्षण संख्या से है;

(त) “तकनीकी अभिकरण” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु नाम निर्दिष्ट किसी अभिकरण से है;

(थ) “ग्राम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित ग्राम से है।

अध्याय-2

आबादी सर्वेक्षण

3-(1) ऐसी छूट, जैसा कि विहित की जाय, के अध्यक्षीन आबादी का एक अभिलेख आबादी अभिलेख होगा, जिसे ‘घरौनी’ कहा जायेगा।

(2) घरौनी में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) स्वामी का नाम और पता;

(ख) आबादी भूखण्ड में अन्य स्वामियों का अंश;

(ग) भूखण्ड संख्या, आबादी भूखण्ड का माप और क्षेत्रफल;

(घ) आबादी भूखण्ड का स्थानिक विवरण;

(ङ) आबादी भूखण्ड का रेखाचित्र;

(च) यथाविहित अन्य विशिष्टियाँ।

(3) किसी ग्राम की सभी घरौनी का संकलन घरौनी रजिस्टर कहा जाएगा।

(4) एक भौमिक मानचित्र होगा जिसे आबादी मानचित्र कहा जाएगा।

4- घरौनी तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया ऐसी रीति में संचालित की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

सर्वेक्षण एवं
अभिलेख संक्रिया

5- राज्य सरकार सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले में सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

सर्वेक्षण अधिकारी

6- राज्य सरकार, परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अधिसूचना द्वारा किसी जिले के आंशिक भाग या सम्पूर्ण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया के लिए आदेश दे सकती है।

अधिसूचना

7- (1) राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के लिए अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अभिलेख अधिकारी आबादी सर्वेक्षण का दिनांक घोषित करेगा।

सर्वेक्षण एवं
अभिलेख संक्रिया
का संचालन

(2) अभिलेख अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया के दिनांक की घोषणा पर सहायक अभिलेख अधिकारी, तकनीकी एजेंसी की सहायता से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया संचालित करेगा।

आबादी भूखण्ड	8— घरौनी में स्वामी के रूप में अभिलिखित व्यक्ति को आबादी भूखण्ड का स्वामी माना जायेगा।
आबादी अभिलेख का प्रकाशन	9— प्रारम्भिक आबादी अभिलेख (घरौनी) ग्राम सभा की खुली बैठक में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी।
सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद करने से पूर्व आपत्ति निस्तारण	10—(1) घरौनी में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपने भूखण्ड के सर्वेक्षण की किसी त्रुटि के सम्बंध में अभिलेख अधिकारी के समक्ष विहित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। (2) अभिलेख अधिकारी, घरौनी में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर या किसी त्रुटि या चूक का संज्ञान लेने पर, घरौनी में त्रुटि के सुधार के लिए, यथास्थिति, सभी संबंधित पक्षों के मध्य समझौते या सहमति के आधार पर विनिश्चय करेगा। (3) अभिलेख अधिकारी का विनिश्चय सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा ग्रामीण आबादी अभिलेख के सुसंगत स्तम्भ में अभिलिखित किया जाएगा तथा तदनुसार घरौनी में संशोधन किया जायेगा। (4) यदि आबादी भूखण्ड के सम्बन्ध में घरौनी में कोई प्रविष्टि विवादित है तो उसे आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र के सुसंगत स्तम्भ में विवादित के रूप में अंकित किया जायेगा तथा घरौनी में उसी रूप में अभिलिखित किया जायेगा।
सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया को बंद किया जाना	11—(1) सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभिलेख अधिकारी आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद करने के सम्बन्ध में परिषद को प्रस्ताव प्रेषित करेगा। (2) राज्य सरकार, परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया को बंद करने की अधिसूचना जारी करेगी।
व्यक्तिगत भूखण्डों का सर्वेक्षण	12— सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद होने के पश्चात् कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने स्वामित्व वाले आबादी भूखण्ड के सर्वेक्षण के लिए अभिलेख अधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा अभिलेख अधिकारी विहित रीति से कार्यवाही करेगा।

अध्याय—3

घरौनी में अद्यतनीकरण एवं नामान्तरण

सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया बंद होने के उपरान्त घरौनी में संशोधन एवं अद्यतनीकरण	13—(1) सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष विहित रीति से निम्नलिखित के लिए आवेदन किया जा सकता है,— (क) किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप के सुधार हेतु (ख) दूरभाष संख्या एवं पता के अद्यतनीकरण हेतु (2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी आवेदन की प्राप्ति पर, या घरौनी में किसी भी त्रुटि या चूक के बारे में सहायक अभिलेख अधिकारी के संज्ञान में आने पर, सहायक अभिलेख अधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसा वह आवश्यक समझे। समुचित विचारोपरान्त वह विनिश्चय करेगा और घरौनी में प्रविष्टि को अद्यतन करेगा।
---	--

14—(1) ऐसे निर्विवाद मामलों के लिए, जिनमें—

निर्विवाद
नामान्तरण

(एक) उत्तराधिकारी; या

(दो) रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख; या

(तीन) रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख; या

(चार) सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गई नीलामी; या

(पांच) भूमि अधिग्रहण; या

(छह) रजिस्ट्रीकृत वसीयत; या

(सात) न्यायालयीन डिक्री; या

(आठ) विभाजन या उपविभाजन; या

(नौ) लिखित पारिवारिक समझौते, के परिणामस्वरूप घरौनी में आबादी भूखण्ड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है, उनका घरौनी में नामान्तरण विहित रीति से किया जायेगा।

(2) उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में, राजस्व निरीक्षक ऐसी रीति से अभिलेख को अद्यतन करेगा जैसी विहित की जाय।

(3) उपधारा (1) एक से भिन्न अन्य निर्विवाद मामलों में, तहसीलदार/नायब तहसीलदार ऐसी रीति से अभिलेख को अद्यतन करेगा जैसी विहित की जाय।

(4) संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति के निर्विवाद नामान्तरण के लिए अंशधारकों की सहमति अनिवार्य होगी।

(5) नामान्तरण में विवाद की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी मामले को विवादित घोषित एवं अभिलिखित करेगा।

15—अद्यतनीकरण एवं नामान्तरण के विवादित मामलों में, सम्बन्धित पक्षकार सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

विवादित मामलों
का सक्षम
न्यायालय द्वारा
सुना जाना

अध्याय—4

प्रकीर्ण

16—(1) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, परिषद सर्वेक्षण, नामान्तरण अद्यतनीकरण, अभिलेखों के अनुसूक्षण आदि के लिए तथा घरौनी या किसी अन्य आबादी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शुल्क अवधारित कर सकती है।

शुल्क का
अवधारण

17—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंध के साथ असंगत न होने वाला ऐसा उपबंध कर सकती है जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

सदभावनापूर्वक कृत कार्यवाई का संरक्षण	18—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
नियमावली बनाने की शक्ति	19—राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकती है।
व्यावृत्ति	20—संहिता की धारा 43 की उपधारा (2) तथा धारा 234 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 675/1-14/2020, दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 द्वारा जारी विनियमावली के अधीन सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के माध्यम से तैयार किये गये ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी), इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये माने जायेंगे।
विनियमावली बनाने की शक्ति	21—परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये विनियमावली बना सकती है।
निदेश जारी करने की शक्ति	22—राज्य सरकार, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबंधों एवं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख तैयार करने के लिये नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी से उन्हें सर्वेक्षण करके उनके वैधीकरण हेतु/समुचित अभिलेखों को तैयार करने के लिए “स्वामित्व योजना” नामक एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अधीन स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख तैयार होने के पश्चात् राज्य में विरासत/उत्तराधिकार एवं विक्रय आदि के कारण होने वाले अंतरण, संशोधन अथवा अद्यतनीकरण किये जाने हेतु समुचित उपबंध किये जाने की आवश्यकता है।

चूँकि पूर्वोक्त मामले को विनियमित करने हेतु राज्य में कोई अधिनियम नहीं है। अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवास योग्य क्षेत्रों में स्थित भूमि, भवन एवं अन्य अनुलग्न सम्पत्तियों के निवास अभिलेखों का अनुरक्षण करने, अभिलेखों को अद्यतन करने तथा आवास योग्य क्षेत्रों में प्रबंध और कराधान के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्गस्त है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्नवत् है:—

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के संक्षिप्त विवरण
3(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को आबादी का एक अभिलेख जिसे 'घरौनी' कहा जायेगा, के सम्बन्ध में छूट दिये जाने की रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
4	इसके द्वारा राज्य सरकार को घरौनी तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
6	इसके द्वारा राज्य सरकार को, परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अधिसूचना द्वारा किसी जिले के आंशिक भाग या सम्पूर्ण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया के लिए आदेश देने की शक्ति प्रदान की जा रही है।
10(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को, भूखण्ड के सर्वेक्षण की किसी त्रुटि के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
11(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया को बंद करने की अधिसूचना की जाने की शक्ति दी जा रही है।
12	इसके द्वारा राज्य सरकार को सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया बंद होने के पश्चात् आबादी भूखण्ड के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
13(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया बंद होने के उपरान्त घरौनी में संशोधन एवं अद्यतनीकरण के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
14(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस श्रेणी में उल्लिखित निर्विवाद मामलों के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
14(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
14(3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को धारा 14 की उपधारा (1) एक से भिन्न अन्य निर्विवाद मामलों के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
17	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंध के साथ असंगत न होने वाले उपबंध के सम्बन्ध में कठिनाई होने पर, उसको निवारित करने के लिए आदेश किये जाने की शक्ति दी जा रही है।
19	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में रीति/नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है।
21	इसके द्वारा परिषद को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के सम्बन्ध में विनियमावली बनाने की शक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

**UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1**

No. 277/XC-S-1-25-29S(A)-2025
Dated Lucknow, December 30, 2025

**NOTIFICATION
MISCELLANEOUS**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Grameen Abadi Abhilekh Vidheyak, 2025 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE UTTAR PRADESH RURAL ABADI RECORDS BILL, 2025

**A
BILL**

to provide for making records of habitation of the land, buildings and other appurtenant immovable assets, located in rural abadi areas of Uttar Pradesh, for updating of the records, for management and taxation in the abadi areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title, extent
and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Abadi Records Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In this Act, unless stated otherwise requires,-

(a) "Abadi", means such area of a village which is,-

(i) recorded as abadi in the record of rights of the village maintained according to Section 31 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012); or

(ii) privately held agricultural land area which is used as habitation; or

(iii) land allotted for habitation; or

(iv) land which is permissible for habitation under Section 67-A of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012);

(b) "Abadi plot" means the parcel of land demarcated as such in the map prepared after survey of the abadi;

(c) "Abadi plot owner" means a person whose name is lawfully and incontrovertibly recorded in the rural abadi record prepared after the Abadi Survey and Record Operations under this Act;

(d) "Abadi Survey Form" means one or more forms appended to the Rules and Regulations of this Act;

(e) "Act" means the Uttar Pradesh Rural Abadi Records Act, 2025;

(f) "Assistant Record Officer" means the Sub Divisional Officer of the concerned Tehsil, unless any other officer is designated as Assistant Record Officer, by the State Government;

(g) "Board" means the Board of Revenue, Uttar Pradesh;

(h) "Central Government" means the Government of India;

(i) "Code" means the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012);

(j) "Lekhpal" means the Lekhpal appointed as per the Uttar Pradesh Lekhpal Service Rules, 2006;

(k) "Record Officer" means the Collector of the District;

(l) "Revenue Inspector, Naib Tehsildar, Tehsildar (Judicial) and Tehsildar" means the Revenue Inspector, Naib Tehsildar, Tehsildar (Judicial) and Tehsildar as referred to in sub-section (17) of Section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012);

(m) "Section" means a Section of this Act;

(n) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(o) "Survey Number" means the recorded survey number of any plot of land as prepared and maintained in the records of rights or maps prepared under Section 30 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012);

(p) "Technical agency" means any agency nominated by the State Government for survey work;

(q) "Village" means village as defined in sub-section (20) of Section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012).

CHAPTER-2

ABADI SURVEY

3. (1) There shall be a record of the abadi, which shall be called 'Gharauni', subject to such exemptions as may be prescribed. Record of Abadi

(2) The Gharauni shall contain the following particulars, namely:-

- (a) name of the owner and address;
- (b) share of other owners in the abadi plot;
- (c) plot Number, dimensions and area of the abadi plot;
- (d) locational details of the abadi plot;
- (e) sketch of the abadi plot;
- (f) other particulars as may be prescribed.

(3) A compilation of all the Gharaunis of a village shall be called the Register of Gharaunis.

(4) There shall be a Cadastral Map called the Abadi Map.

4. A Survey and Record Operation shall be conducted for preparation of 'Gharauni', in such manner as may be prescribed. Survey and
Record Operation

5. The State Government may designate Assistant Record Officer in any district, as required, for Survey and Record Operations. Survey officers

Notification	6. The State Government may order for Survey and Record Operation of the abadi of part or whole of a District, by notification, on receipt of the proposal from the Board.
Conducting Survey and Record operation	7. (1) After the notification is issued by the State Government for the Survey and Record Operation, the Record Officer shall declare the dates of the abadi survey. (2) On declaration of the dates for Survey and Record Operation by Record Officer, the Assistant Record Officer shall conduct Survey and Record Operation with the help of technical agency.
Rights of Abadi plot owner	8. The person, recorded as owner in the Gharauni, shall be deemed to be the owner of the abadi plot.
Publication of Abadi Record	9. The preliminary Abadi Record (Gharauni) will be published by Assistant Record Officer in the open meeting of Gram Sabha.
Disposal of Objections before Closure of Survey and Record Operation	10. (1) Any person aggrieved with any entry made in the Gharauni, may file an objection regarding any errors of survey of his or her plot, before the Record Officer within the stipulated time as may be prescribed. (2) The Record Officer, upon receiving any objection or on taking cognizance of any error or omission in the Gharauni, shall take a decision on the basis of concurrence or consent of all the concerned parties, for the rectification of the error in the Gharauni, as the case may be. (3) The decision of the Record Officer shall be recorded by the Assistant Records Officer in the relevant column of Rural Abadi Records, and the Gharauni shall be amended accordingly. (4) In case any entry in the Gharauni regarding abadi plot is disputed, it shall be marked as disputed in the relevant column of the Abadi Survey Form and recorded as such in the Gharauni.
Closure of Survey and Record Operation	11. (1) After completion of the Survey and Record Operation, the Record Officer shall send the proposal regarding closing the Abadi Survey and Record Operation to the Board. (2) The State Government shall issue a notification to close Abadi Survey and Record Operation, after the receipt of the proposal from the Board.
Survey for Individual plots	12. After closure of Survey and Record Operation, any interested person can apply to the Record Officer for the survey of the abadi plot owned by him, and Record Officer shall do as may be prescribed.

CHAPTER-3

UPDATION AND MUTATION IN GHARAUNI

Correction and Updation in Gharauni after Closure of Survey and Record Operation	13. (1) An application can be made to the Assistant Record Officer in the prescribed manner for,- (a) Correction of any clerical error or omission; (b) For updation of phone number and address.
--	---

(2) On receipt of any application under sub-section (1) or, on coming to his notice about any error or omission in the Gharauni, the Assistant Record Officer shall conduct such inquiry as he deems necessary. After due consideration, he shall take a decision and update the entry in the Gharauni.

14. (1) For undisputed matters that result in change in the name of the abadi plot owner in the Gharauni due to,-

Undisputed
mutation

- (i) Succession; or
- (ii) Registered sale deed; or
- (iii) Registered gift deed; or
- (iv) Auction conducted by Government or Government undertaking; or
- (v) Land Acquisition; or
- (vi) Registered Will; or
- (vii) Court decree; or
- (viii) Partition or sub-division; or
- (ix) Written Family settlement, the mutation of the same in the Gharauni shall be done in the manner as may be prescribed.

(2) In undisputed matters of Succession, the Revenue Inspector shall update the record, in such manner as may be prescribed.

(3) In undisputed matters other than sub-section (1) (i), the Tehsildar/Naib Tehsildar shall record the updation, in such manner as may be prescribed.

(4) For undisputed mutation of jointly owned property, the consent of share holders is mandatory.

(5) In case of a dispute in mutation, the Sub Divisional Officer/ Assistant Record Officer shall declare and record the matter as disputed.

15. In disputed matters of updation or mutation, the parties concerned may seek relief from the competent court.

Disputed cases to
be heard by
competent court

CHAPTER-4

MISCELLANEOUS

16. After approval of the State Government, the Board, may determine such fee for Survey, mutation, updation, maintenance of records *etc.* and for obtaining a copy of the Gharauni or any other abadi record.

Determination of
fees

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may, by order, published in the Official *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provision of this Act as may appear to be necessary for removing the said difficulty:

Power to Remove
difficulties

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before both Houses of the State Legislature.

Protection of action taken in good faith	18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.
Power to make Rules	19. The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.
Savings	20. The Rural Abadi records (Gharauni) prepared through Survey and Record Operation under the regulations issued by the State Government <i>vide</i> notification no. 675/1-14/2020, dated October 8, 2020 under sub-section (2) of Section 43 and sub-section (1) of Section 234 of the Code, shall be deemed to have been made under this Act.
Power to make Regulations	21. The Board may, with prior approval of the State Government, make regulations to carry out the provisions of this Act.
Power to issue directions	22. The State Government may issue such directions as it deems necessary for carrying out the provisions and purposes of this Act and the rules and regulations made there under.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India has started a scheme called 'SWAMITVA SCHEME' to prepare ownership records of rural abadi areas by surveying them with the latest drone technology to prepare proper records for their legitimation. After the ownership records are prepared under this scheme, there is a need to make proper provision for transfer, amendment or updation due to inheritance/succession and sale *etc.* in the State.

Since, there was no Act in the State to regulate the aforesaid matter. Therefore in view of the above, it has been decided to enact an Act to maintain records of residence of land, building and other attached properties situated in rural inhabited areas of Uttar Pradesh, to update the records and to provide for management and taxation in inhabited areas and matters related to or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Rural Abadi Records Bill, 2025 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By Order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.